

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक- जनवरी 14,2021

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 156 वाहनों का चालान, 28 वाहनों से कुल 28900/-रूपया शमन शुल्क वसूल किया गया शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 28 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते हुए 290 भा0द0वि0 मे 16 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना पारसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त हरियान पुत्र बदरी नि0 मर्यादपुर थाना पारसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-08/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त अमन कुमार पुत्र नाथूपाल नि0 अमडा थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 240 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-18/21 धारा-60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. राजेश चौहान पुत्र रामजतन नि0 फरेन्दा सर्वजीत थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-06/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

2. प्रकाश साहनी पुत्र शोभनाथ नि0 सेरदवा थाना नौतनवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-07/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

थाना पनिहरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त दिलीप साहनी पुत्र चुल्हाई नि0 लखरहिया थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 ली0 कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-10/21 धारा-60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

***पशु क्रूरता नि0 अधिनियम मे की गयी कार्यवाही*-**

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. मोहम्मदीन पुत्र तकसीन 2. पतिलाल पुत्र रघुनन्दन नि0 कोहरगड्डी थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 06 राशि गाय व 03 राशि बछड़ा बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-09/21 धारा- 11 क पशु क्रूरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया ।

***279 IPC व 3(1) पशु क्रूरता नि0 अधिनियम मे की गयी कार्यवाही*-**

थाना कोठीभार पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. सूरज पुत्र रामप्रताप नि0 डुमरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा 2. मनोज पुत्र उदयरज नि0 सिंहपुर थाना बेलहारी जनपद गोण्डा के कब्जे से 35 अदद पालतू सुउर बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 05/21 धारा- 279 ipc व 3(1) ई पशु क्रूरता नि0 अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल-11 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया ।

जनपद में 13/14-01-2021 को विभिन्न अपराधों में कुल- 37 अभियुक्तगणों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी ।